

प्रमाण पत्र

मैं प्रतिपूरक वनीकरण तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण के लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु जो शर्तें भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा लगाई जायेगी मैं उसका अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
हस्ताक्षर 15/10

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज हैदराबाद

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि०

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उच्च वन्य जीव अभयारण्य

C.S
प्रभागीय निदेशक
सांवावन प्रभाग
बाराबंकी